प्रेस नोट थाना टूण्डला दिनांक 22-04-21 जनपद फ़िरोज़ाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वार अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचा, रायफल, कारतूस एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।

- **करीब दो दर्जन बने/अधबने अवैध रायफल/तमंचे बरामद।**
- **भारी मात्रा में अवैध तमंचे/रायफल बनाने के उपकरण बरामद।**
- **आगामी पंचायत चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से, अवैध तमंचे बनाकर कर रहे थे बिक्री।**
- **पुलिस की सक्रियता से अवैध शस्त्र बनाने कि फैक्ट्री का हुआ भण्ड़ाफोड़।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री अजय कुमार द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर अवैध असलाहों के विरूद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्येवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में थाना टूण्डला पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21-04-2021 को अनवारा के पास बनी पहाड़ी बीहड़ में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे अभियुक्त मोहन उर्फ पप्पू पुत्र श्यामलाल उर्फ बिच्छई लाल निवासी घुरकुँआ थाना नगला सिंघी फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया है जबकि इनके दो अन्य साथी 1-वीरभान पुत्र मुरारीलाल निषाद निवासी घुरकुआ, 2-नितिन उर्फ नितिना पुत्र राधेलाल उर्फ राधेकृष्ण निवासी धीरपुरा थाना नगला सिंघी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 रायफल, भारी मात्रा में बने/अधबने तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि आगामी पंचायत चुनाव में एक अवैध तमंचा 2500-3000 रू0 में बिक जाता है। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 213/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट बनाम मोहन उर्फ पप्पू, वीरभान, नितिन उर्फ नितिना उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1-मोहन उर्फ पप्पू पुत्र श्यामलाल उर्फ बिच्छई लाल निवासी घुरकुआ थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद।

फरार अभियुक्तगणः-

1-वीरभान पुत्र मुरारीलाल निषाद निवासी घुरकुआ नगला सिंघी फिरोजाबाद।
2-नितिन उर्फ नितिना पुत्र राधेलाल उर्फ राधेकृष्ण निवासी धीरपुरा नगला सिंघी फिरोजाबाद।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण–

1	रायफल 315 बोर	03 अदद।
2	तमंचा 315 बोर	07 अदद।
3	तमंचा 12 बोर	01 अदद।
4	अधबने तमंचे 12 बोर	11 अदद।
5	खोखा राउण्ड 315 बोर	03 अदद।
6	जिन्दा कारतूस 315 बोर	01 अदद।
7	खोखा कारतूस 12 बोर	02 अदद।

8	जिन्दा कारतूस 12 बोर	01 अदद।
9	मैनुअल ड्रिल मशीन	01 अदद।
10	मैनुअल बेंच वाइस, भट्टी पंखा	01 अदद।
11	बैटरी मय एलईडी प्लेट	01 अदद।

भारी मात्रा में अवैध रायफल/तमंचा बनाने के उपकरणः-

आरी ब्लेड, हथौडा, ड्रिल बिट, लोहे के गाटर का टुकडा, कील, स्वाग व पीतल के तार व लोहे की पत्ती का बंडल, लकडी का कोयला, एक अदद पानी की बोतल, एक अदद प्लास्टिक की पल्ली, बसूला, पेंचकस, स्प्रिंग, अधबनी लोहे की नाल तथा पाइप, सुम्मी, पेन्ट का डिब्बा, छैनी, हेमर बॉडी कसने के पेंच आदि।

आपराधिक इतिहासः-(वीरभान उर्फ नितिना उपरोक्त)-

1-मु0अ0सं0 01/2019 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 केशव दत्त शर्मा थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
2.व0उ0नि0 रवीन्द्र कुमार सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
3.उ0नि0 पुष्पेन्द्र कुमार सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
4.उ0नि0 अमित कुमार त्यागी थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
5.उ0नि0आनन्द सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
6.उ0नि0संदीप सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
7.एचसीपी जितेन्द्रपाल राजौरिया थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
8.का0 761 राजेन्द्र सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
9.का0 1026 कुलदीप सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
10.का0 612 बबलू कुमार थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
11-का0 1409 विजय कुमार थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

नोटः- अवैध असलाह फैक्ट्री का भण्डाफोड़ कर भारी मात्रा में अवैध असलाहो एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फ़िरोज़ाबाद श्री अजय कुमार द्वारा 15 हजार रूपये के नकद ईनाम से पुरूष्कृत किया गया है।